पिछड़े हैं तो क्या है?

नीति आयोग द्वारा जारी विकास लक्ष्यों की सूचकांक रिपोर्ट 2020–21 के अनुसार चिह्नित किए गए 115 क्षेत्रों में बिहार को 100 में से कुल मिलाकर 52 अंक मिले हैं, जो सभी राज्यों से कम हैं। इसलिए बिहार को सबसे पिछड़े राज्य का स्थान मिला है। इसके लिए गरीबी, शिक्षा की बदहाली के अतिरिक्त आधुनिकतम संचार साधनों – मोबाइल और इंटरनेट के कम उपयोग को जिम्मेदार ठहराया गया है। 34 प्रतिशत लोग राज्य में गरीबी रेखा के नीचे हैं। वैश्विक गरीबी सूचकांक/मानक के आधार पर यह प्रतिशत 53 तक चला जाता है। स्वास्थ्य सुविधाएँ लचर हैं, रिपोर्ट के अनुसार मात्र 13 प्रतिशत लोग ही स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत हैं। 5 वर्ष के कम उम्र के 42 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं। 51 प्रतिशत लोग मोबाइल का और उनमें भी केवल 40 प्रतिशत इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके सही और गलत इस्तेमाल का यदि ठीक-ठीक आकलन किया जाए तो और-अधिक चौंकाने वाले नतीजे सामने आएँगे, इंटरनेट के उपयोग में दुरुपयोग भी स्वाभाविक रूप से शामिल है। 15 वर्ष से ऊपर के लोगों की साक्षरता दर पैंसठ प्रतिशत है। शिक्षितों की संख्या दर अभी भी काफी कम है। फिर भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के संबंध में केंद्र सरकार का कहना है कि चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार विशेष राज्य और सामान्य राज्य को मिलने वाले कर बँटवारे में कोई व्यावहारिक फर्क नहीं रह गया है। बिहार को केंद्र के राजस्व में अब 32 की जगह 42 प्रतिशत हिस्सा मिल रहा है।

ऐसा नहीं कि बिहार के बारे में यह नया रहस्योद्घाटन है।

इसके पिछड़ने का डाटा समय-समय पर सामने आते रहता है, फिर भी इसके पिछड़ेपन को विशेष चुनौती अब तक नहीं मिली। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद सभी राज्यों का कमोबेश विकास हुआ। पिछड़े क्षेत्रों के छोटे-छोटे नए राज्यों में विभाजन से प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया गया; उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा जैसे प्रदेश इसके नजीर बने। आज केरल सबसे विकसित राज्य है, गोवा ने भरपूर प्रगति की है। यहाँ तक कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों का भी खूब विकास हुआ, लेकिन बिहार पिछड़ता ही रहा। नतीजा यह हुआ कि खनिज संपदाओं से परिपूर्ण दक्षिण बिहार जो मौजूदा झारखंड है, उसके 2000ई. तक साथ होने के बावजूद संपदाओं का दोहन या तो निजी हित में होता रहा या फिर अन्य क्षेत्रों के लोग इसका भरपूर फायदा उठाते रहे। पूंजीपति, राजनेता, नौकरशाह और माफिया तत्त्व मोटे होते गए, जबकि राज्य और उसके निवासी कंगाल बने रहे। स्थानीय आबादी की अनदेखी के कारण अलग झारखंड राज्य के लिए आंदोलन किया गया और अंततः सफलता मिली, हालाँकि पिछड़े राज्यों के निचले पायदान पर बिहार के ऊपर असम व झारखंड ही हैं।

बहरहाल, क्या नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार के पिछड़ेपन का मूल स्वरूप और उसे दूर करने का उपाय यथेष्ट है? वास्तविकता यह है कि शासनिक-प्रशासनिक विभागों में जड़ जमाए कामचोरी और भ्रष्टाचार को दूर करके, हरएक समस्या के निदान को जातीयता के चश्मे से खोजने की बजाय व्यापक नजरिए से देखकर, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार के साथ सुदृढ़ करके, कृषि कार्यों को सुव्यवस्थित रूप देकर, उद्योग-धंधों के विकास से रोजगार के अवसर बड़े पैमाने

पर बढ़ाकर और कानून-व्यवस्था सशक्त करके बिहार को समुन्नत बनाया जा सकता है। निश्चित रूप से कर राजस्व से प्राप्त आमदनी इसका मुख्य स्रोत है, पर इसके अतिरिक्त भी विकास अनेकानेक कार्यों पर निर्भर करता है। पहला, राजस्व कर आय का खर्च सही ढंग से चिह्नित कर समुचित मदों में किया जाना चाहिए, हालाँकि बुनियादी व आवश्यक व्यय तो हर हालत में होगा ही। राजस्व का बड़ा हिस्सा ढांचागत संरचना और उन्हें चलाने वाली मशीनरी पर खर्च होता है। परंतु यह तो एक सीधा-सा हिसाब है; भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, कामचोरी, कमीशनखोरी आदि में योजना मद का बड़ा भाग भेंट चढ़ जाता है। दूसरी ओर, गलत नीतिगत निर्णय से भी जहाँ खर्च होना चाहिए, वहाँ नहीं होता और जहाँ नहीं होना चाहिए, वहाँ होता है।

बिहार में पहले कांग्रेस, जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और पिछले पंद्रह साल से जनता दल यू के साथ एक-आध साल छोड़कर भाजपा का शासन है, लेकिन बिहार पिछड़ेपन के अंतिम पायदान से ऊपर नहीं उठ सका है। परिवर्तन के निमित्त दूसरा-तीसरा कार्यकाल मिलने के बाद भी कुछ विकास होने के बावजूद पिछड़ेपन बरकरार रहना चिंतनीय है। सरकारी योजनाओं के ईमानदारी से कार्यान्वयन का अभाव एक बड़ा कारक है। बड़ी मानव संपदा और विशाल श्रम शक्ति से परिपूर्ण यहाँ के लोग बाहर जाकर अपनी मेधा-क्षमता का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ उसके उपयोग का यथोचित अवसर उपलब्ध नहीं है, अन्यथा इस अकूत मानव संसाधन की बदौलत बिहार बहुत आगे बढ़ जाता। वैसे तो मानव संपदाओं का समुचित उपयोग न होना वैश्विक त्रासदी है, पर भारत और उसमें भी बिहार अग्रणी है, क्योंकि आबादी का घनत्व ज्यादा सघन है,

जनसंख्या के विस्फोट का सबसे अधिक दुष्प्रभाव झेल रहा है। इसलिए जो जन-बल मानव संपदा का रूप होना चाहिए, वह जनाधिक्य और निष्क्रियता की वजह से भार सदृश हो गया है, फलतः इसे कम करने के तरह-तरह के उपाय किए जा रहे हैं, नए-नए उपक्रम सोचे जा रहे हैं। जनसंख्या पर लगाम लगाने का औचित्य अपनी जगह है, पर 'हर हाथ को काम' देने का समना साकार हो जाए, तो बहुत हद तक पिछड़ेपन से मुक्ति मिल सकती है।